न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 74/2018

विक्रमजीतसिंह पुत्र बलदेवसिंह निवासी 4 डी.डी.सी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. हरबंसलाल पुत्र मोतीलाल
2. अमरजीत कौर पत्नी बलदेवसिंह
3. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मलकीतसिंह

निवासीगण 4 डी.डी.सी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, घडसाना दिनांक 17.05.2018

उपस्थितिः—

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 31.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 ने एक प्रा. पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि चक 4 डी.डी.सी. के मु.नं. 145/12 के कि.नं. 16, 17, 21 ता 25 की 1.379है0 व मु.नं. 145/21 के कि.नं. 1 से 4 की 1.012है0 भूमि में आने-जाने के लिए मु.नं. 145/13 के कि.नं. 5 में 16 फुट लम्बा तथा 16 फुट चौड़ा (कोने पर) रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा रास्ता स्वीकृत करने का प्रा.पत्र पेश किया था जो दिनांक 30.11.2017 को खारिज

कर दिया। प्रार्थी द्वारा 30.11.2017 के विरूद्ध अपील पेश न कर पुनः प्रा.पत्र पेश किया है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने दिनांक 17.05.2018 को प्रा.पत्र स्वीकार कर आवेदित रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. सं. 1 से 3 को जरिये रजि.सम्मन से तलब किया गया। लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नही आने पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मु.नं. 145/21 के कि.नं. 21 से 25 में सरकारी रास्ता मंजूरशुदा है, इसी रास्ता से रेस्पों. सं. 1 अपने खेत में आता-जाता है जो कई वर्षो से चालू है, जब रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जिस स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया गया है वहां अपीलांट का ट्यूबवैल लगा हुआ है इसके अतिरिक्त अधी. न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है जबकि राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के नियम 69 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी जो निरीक्षक भूमि अभिलेख से अनिम्न रैंक का न हो, से निरीक्षण करवाएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी का पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी और जांच जो वह ठीक समझे करने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है, रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है और जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पंहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है। मौजूदा मामला में अधी. न्यायालय ने नियमों की पालना किये बिना ही रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने आर. आर.टी 2016(2) पेज 1281, आरआर.डी. 14.8.2017 पेज 515 के न्याय दृष्टांत का हवाला दिया।

dsy

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की है जिसके आधार पर रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि राज.काश्त. अधिनियम की धारा 251ए के नियम 69 के अनुसार भू–अभिलेख से अनिम्न रैंक के अधिकारी से निरीक्षण कराये बिना रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसके अलावा अपीलांट ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि मौका पर ट्यूबवैल लगा हुआ है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी घड़साना का आदेश दिनांक 17.05.2018 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के नियम 69 के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर एवं मौका पर ट्यूबवैल को दृष्टिगत रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर